UPKU010039152026

**न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या – 257 / 2026

इस्तेयाक बनाम उ०प्र० सरकार।

08.06.2026

1– पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकारा गया। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं एवं विपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

2– अन्तरण प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने बल देते हुए कहा है कि सत्र परीक्षण सं० –457/2015 सरकार बनाम इस्तेयाक, धारा–363, 366,506 भा०द०सं० व धारा–3(2)V एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–खड्डा, जिला–कुशीनगर की पत्रावली न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) में विचाराधीन है तथा उक्त पत्रावली से संबंधित अन्य सत्र परीक्षण सं०–256/2015 सरकार बनाम इम्तेयाज, धारा–363,366,506 भा०द०सं०, धारा–3(2)V एस०सी०/एस०टी० एक्ट व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना–खड्डा, जिला–कुशीनगर की पत्रावली न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नं० 1 में विचाराधीन है। तदनुसार उक्त सत्र परीक्षण संख्या–418/2019 सरकार बनाम जोखन की पत्रावली न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नं० 1, कुशीनगर में अन्तरित किए जाने की याचना की गई।

3– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अन्तरण प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में संबंधित न्यायालयों से आख्या आहूत की गई। न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नं० 1, कुशीनगर की आख्या के अनुसार उपरोक्त वर्णित दोनों पत्रावलियाँ पूर्व में समेकित की जा चुकी हैं। चूंकि दोनों सत्र परीक्षण एक –दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए दोनों सत्र परीक्षण का विचारण एक साथ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः सत्र परीक्षण सं०–457/2015 सरकार बनाम इस्तेयाक, धारा–363,366,506 भा०द०सं० व धारा–3(2)V एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–खड्डा, जिला–कुशीनगर की पत्रावली न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), कुशीनगर से रिकॉल की जाती है एवं विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नं० 1, कुशीनगर में अन्तरित की जाती है।

तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

**(संजीव कुमार त्यागी)**
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.08 16:30:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court